न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 18/2016

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

1धर्मेन्द्र कुमार, त्यागी मार्केट, राठौडी कुआं, नागौर।
फर्म–श्री सालासर जनरल स्टोर, त्यागी मार्केट,
राठौडी कुआं, नागौर।
2कुणाल चंदानी (मालिक) 31, शास्त्रीनगर, ब्यावर,
फर्म–कुन्दन एडिबल ऑयल इन्डस्ट्रीज, बाईपास रोड के पास,
गणेशपुरा ब्यावर 305901

आदेश

दिनांक : 27.12.17

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा । के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 22-03-2016 को दोपहर 02-00 बजे (PM) गश्त चैकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर स्थित श्री सालासर जनरल स्टोर पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से धर्मेन्द्र मौजूद था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) 1 लीटर के प्लास्टिक की बोतल में सील बंद अवस्था में 25–30 बोतल रखी हुई थी। निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 4 लीटर (1 लीटर x 4) खाद्य पदार्थ सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। मौके पर विक्रेता ने बताया कि वह उक्त माल का न तो उत्पादक है और न ही पैंकिंगकर्ता है। उक्त माल के निर्माता कुन्दन एडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज, बाईपास रोड के पास, गणेशपुरा ब्यावर 305901 है। विक्रेता को रूपए 400/– चार सौ रू. मात्र नगद देकर सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) 4 लीटर (1 लीटर x 4) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद की गई सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) की चारों बोतलों पर नमूने का विवरण लिखकर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं ने हस्ताक्षर कर लेबल को प्रत्येक बोतल पर चिपकाया। इसके पश्चात चारों बोतलों को अलग–अलग मजबूत खाकी धागे में लपेट कर गोंद से चिपकाया। प्रार्थी द्वारा पेपर स्लिप क्रमांक क्यू–809 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने की बोतलों पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

2(4).यह है कि क्यू–809 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह वार्ड बॉय के साथ दिनांक 28-03-16 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5). यह है कि क्यू–809 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–809 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 22-03-16 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(6).यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/340/एक्ट/2016/371 दिनांक 07-04-2016 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–809 खाद्य पदार्थ सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिसब्राण्ड (MISBRANDED) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त सं. 1 धर्मेन्द्र 2 कुणाल चंदानी ने एफ.एस.एस. ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 28-10-2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री विरेन्द्र कुमार गौड ने वकालतनामा पेश किया तथा अपना जवाब दिनांक 01.06.17 को प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया गया।

4. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपना जुर्म स्वीकार भी किया गया है तथा खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 371 दिनांक 07-04-16 के अनुसार सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना Misbranded पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण को शास्ति से दण्डित किया जाना चाहिए।

5. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 371 दिनांक 07.04.16 के अनुसार सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) का नमूना Misbranded पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने Misbranded सोया रिफाइन्ड आयल (प्रशान्त ब्राण्ड) का विक्रय किया जिसके लिए वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के लिए दोषी पाए जाते है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 खाद्य कारोबारकर्ता धर्मेन्द्र, फर्म–श्री सालासर जनरल स्टोर, नागौर पर 35,000/– अक्षरे रूपये पैंतीस हजार, अप्रार्थी सं.2 कुणाल चंदानी (मालिक), फर्म–मैसर्स कुन्दन एडिबल ऑयल इण्डस्ट्रीज, ब्यावर पर 86,000/– अक्षरे रूपये छियासी हजार कुल 1,21,000/– अक्षरे रूपये एक लाख इक्कीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगें।

6. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर